तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8187/2006/टोंक** **राजस्थान सरकार बनाम नारायणसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ।

अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 19.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 13.10.2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, देवली ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी नारायणसिंह पुत्र बजरंग सिंह निवासी हिसामपुर तहसील देवली को ग्राम हिसामपुर में दिनांक 16.12.88 को आराजी खसरा संख्या 37/1 में से 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई, जिसका गैर खातेदारी के नामांतकरण संख्या 715 दिनांक 17.12.88 से राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका था, का बिना सक्षम न्यायालय के आदेश उसी आवंटन का हवाला देकर 1155/33/1090 तथा 64/1082 में गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 21 दिनांक 12.12.90 को स्वीकृत किया गया। गत खसरा संख्या से नवीन खसरा संख्या में अमल के आदेश देने के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं है तथा एक आदेश से एक ही नामांतकरण दर्ज किया जा सकता है। अतः नामांतकरण संख्या 21 को निरस्त किया जावें। जिस पर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा ने आदेश दिनांक 13.10.2006 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी को नामांतकरण संख्या 715 दिनांक 17.12.88 से ही खातेदारी दे दी गई थी तो फिर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पुनः उसी आवंटन के आधार पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा संख्या में जो नामांतकरण संख्या 21 स्वीकृत किया है वह अनुचित है। एक ही आदेश से दुबारा नामांतकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि अपीलीय न्यायालय पूर्व नामांतकरण को निरस्त कर अन्य आदेश नहीं दे दे। अतः नामांतकरण संख्या 21 को निरस्त किया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8187/2006/टोंक** **राजस्थान सरकार बनाम नारायणसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की जांच रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में यह प्रार्थना पत्र रेफरेंस मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश होने पर मण्डल न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.01.2006 को प्रकरण विचारण न्यायालयों को निम्न निर्देशों के साथ लौटाया गया था कि रेफरेंस में वर्णित पुराने/नए खसरा नंबर व पेश किए गए मिलान क्षेत्रफल में वर्णित खसरा नंबरों में अंतर है। बिसलपुर प्रोजेक्ट भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, क्या यह आराजी उस क्षेत्र में थी, क्या भूमि मुआवजे का भुगतान किया गया है, संबंधित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ अंतिम रूप से क्या कार्यवाही अमल में लायी गई, इन बिन्दुओं पर जांच कर आवश्यक होने की स्थिति में रेफरेंस पुनः मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देशों के साथ लौटाया गया था। जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तहसीलदार देवली से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिसलपुर परियोजना से प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि बिसलपुर परियोजना के डूब में है एवं इसकी अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होना अंकन किया है। अधिशाषी अभियंता पुनर्वास खण्ड बिसलपुर परियोजना देवली की रिपोर्ट अनुसार सर्वे में अवाप्ति कार्यवाही धारा 16 पत्र क्रमांक 3868 दिनांक 10.08.06 द्वारा की गई है जिसमें भी उक्त खसरों की अवाप्ति कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त सभी तथ्यों के विवेचन के आधार पर स्थिति यह है कि अप्रार्थी को साबिक खसरा संख्या 3 एवं 37/1 में आवंटन किया था जो नकल मिलान क्षेत्रफल में मिलान नहीं खाता तथा तत्कालीन तहसीलदार देवली ने बिना मिलान क्षेत्रफल मिलाए एवं बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए अप्रार्थी को एक ही आवंटन आदेश के हवाले से दुबारा गैर खातेदारी का नामांतकरण तस्दीक किया है जो अवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय योग्य है। साथ ही उक्त आराजी डूब क्षेत्र में होने से राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 से प्रभावित है। उक्त आराजी राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है। अतः तहसीलदार देवली द्वारा पुनः उसी आवंटन के आधार पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा संख्या में जो नामांतकरण संख्या 21 स्वीकृत किया है वह अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8187/2006/टोंक** **राजस्थान सरकार बनाम नारायणसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 13.10.2006 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 21 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजीयात को पूर्व की भांति राजकीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	